टिप्पणी

# 6

# प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत

इस पाठ में आपका परिचय 'प्राकृतिक न्याय' की धारणा से कराया जाएगा। सामान्य शब्दों में, 'प्राकृतिक न्याय' का अर्थ है, वह न्यूनतम मानक एवं सिद्धांत, जिनका प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा अनुसरण या पालन किया जाना चाहिए, जब वे उन मसलों पर फैसला कर रहे हों, जो जनता से जुड़े हों।

मुख्य रूप से प्राकृतिक न्याय के दो सिद्धांत हैं, जिनका प्रत्येक प्रशासनिक अधिकारी को पालन करना चाहिए, भले ही ये सिद्धांत प्रासंगिक अधिनियमों या कानूनों में न दिए गए हों। ये सिद्धांत हैं–

1. कोई भी व्यक्ति अपने स्वयं के मामले में न्यायाधीश (जज) नहीं होना चाहिए।
2. प्रत्येक पक्ष को सुने जाने का अवसर दिया जाना चाहिए।

## उद्देश्य

इस पाठ के अध्ययन के बाद आप–

- 'प्राकृतिक न्याय' को परिभाषित कर पाएंगे;
- 'पूर्वाग्रह के विरुद्ध नियम' के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा कर पाएंगे;
- 'निष्पक्ष सुनवाई के नियम' का विश्लेषण कर पाएंगे;
- व्यक्त/पारित आदेश के अर्थ को समझ पाएगें एवं
- प्राकृतिक न्याय के 'अपवादों' को जान पाएंगे।

## 6.1 प्राकृतिक न्याय की अवधारणा

प्राकृतिक न्याय का तात्पर्य है–निष्पक्षता, औचित्य एवं समानता। प्राकृतिक न्याय सामान्य कानून की एक अवधारणा है और यह अमेरिकन 'प्रक्रियात्मक कारण प्रक्रिया' का प्रतिरूप है। प्राकृतिक न्याय, न्यायधीशों द्वारा विकसित उच्च प्रक्रियात्मक सिद्धांतों का प्रतिनिधित्व करता है, जिस का प्रत्येक प्रशासनिक संस्था को कोई भी ऐसा फैसला लेते समय पालन करना चाहिए जिससे किसी व्यक्ति के अधिकार नकारात्मक रूप से प्रभावित होते हैं।

प्राकृतिक न्याय का अर्थ बहुत से लेखकों, वकीलों एवं कानूनी प्रणालियों ने अलग-अलग तरह से समझा है। यह प्रायः ईश्वरीय कानून एवं राष्ट्रों के सामान्य कानून के रूप में उपयोग किया जाता है। यह एक बदलती हुई विषय-वस्तु का सिद्धांत है। हालांकि इसका अर्थ यह नहीं है कि किसी दिए गए समय पर प्राकृतिक न्याय के कोई नियम-सिद्धांत निर्धारित नहीं किए जा सकते। न्यायालयों के विभिन्न फैसलों के द्वारा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत आसानी से तय किए जा सकते हैं, हालांकि किसी दी गई परिस्थिति में उनका प्रयोग अनेक कारकों पर निर्भर करता है। भारत जैसे कल्याणकारी राज्य में, प्रशासनिक संस्थाओं की भूमिका और अधिकार क्षेत्र तेजी से बढ़ रहे हैं। कानून के शासन की अवधारणा अपनी वैधता खो देगी, यदि राज्य के तंत्र इस बात के लिए उत्तरदायी न ठहराए जाएं कि वे अपने उत्तरदायित्व निष्पक्ष और न्यायोचित तरीके से निष्पादित करें।

प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत, संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों के अन्तर्गत में दृढ़ता से स्थापित हैं। संविधान के अनुच्छेद-21 में दी गई ठोस एवं प्रक्रियात्मक कारण प्रक्रिया की अवधारणा के साथ, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत अपनी पूरी स्पष्टता के साथ देखे जा सकते हैं, जब किसी व्यक्ति को अपने जीवन और स्वतंत्रता से वंचित किया जाता है। बाकी क्षेत्रों में अनुच्छेद-14 जिसमें प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त निहित हैं, और जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को नियमित करता है।

अनुच्छेद-14 न सिर्फ भेदभावपूर्ण वर्ग कानून पर लागू होता है, बल्कि यह मनमाने या भेदभावपूर्ण राज्य कार्रवाई पर भी लागू होता है।

चूंकि प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन निरंकुशता को जन्म देता है, इसलिए यह उल्लंघन अनुच्छेद-14 की समानता से सम्बन्धित धारा का उल्लंघन है। इस प्रकार, अब प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत को पूरी तरह से कानून द्वारा खारिज नहीं किया जा सकता, क्योंकि इससे अनुच्छेद-14 एवं 21 में प्रत्याभूत मूल अधिकारों की अवहेलना होगी।

प्राकृतिक न्याय के मुख्यतः दो सिद्धांत हैं। ये हैं-**'नेमो जुडेक्स इन कॉजा सुआ' (Nemo Judex in Causa Sua)**- जिसका अर्थ है-कोई भी व्यक्ति अपने ही मामले में जज नहीं बनाया जाना चाहिए एवं पूर्वाग्रह के विरुद्ध नियम। **'ऑडी अल्टेरम पारेरम' (Audi Alteram partem)** जिसका अर्थ है- दूसरे पक्ष को सुनो, कोई भी व्यक्ति बिना सुनवाई के दंडित नहीं किया जाना चाहिए।

## पाठगत प्रश्न 6.1

1. प्राकृतिक न्याय को परिभाषित करें।
2. प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का संवैधानिक आधार क्या है?
3. प्राकृतिक न्याय के दो प्रमुख सिद्धांतों का उल्लेख करें।

## 6.2 पूर्वाग्रह के विरुद्ध नियम

'पूर्वाग्रह' का अर्थ है-एक सक्रिय पूर्वाग्रह, जो कि किसी मामले में या किसी पक्ष के प्रति जानबूझकर या अनजाने में हो सकता है। इसलिए 'पूर्वाग्रह के विरुद्ध कानून' उन कारकों पर प्रहार करता है, जो किसी जज को किसी खास फैसले पर पहुंचने में अनुचित रूप से प्रभावित कर सकते हैं। इस सिद्धांत की आवश्यकता यह है कि न्यायाधीश निश्चित रूप से निष्पक्ष होना चाहिए एवं किसी मुकदमें का फैसला उसे उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर निष्पक्षता से करना चाहिए।

इसलिए कोई व्यक्ति, चाहे जिस कारण से भी हो, उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर, यदि एक निष्पक्ष निर्णय नहीं ले सकता तो उसे पूर्वाग्रह से ग्रस्त कहा जाएगा। एक व्यक्ति उस मामले में निष्पक्ष निर्णय नहीं ले सकता, जिसमें उसका अपना हित हो, क्योंकि मानवीय मनोविज्ञान कहता है कि बहुत ही विरले लोग अपने हितों के विरुद्ध निर्णय ले पाते हैं। यह अयोग्यता का नियम सिर्फ इसलिए नहीं लगाया जाता कि पक्षपातपूर्ण निर्णय न हो, बल्कि इसलिए भी लगाया जाता है, लोगों का निष्पक्ष प्रशासनिक न्याय व्यवस्था में विश्वास बना रहे, क्योंकि 'कोई भी व्यक्ति स्वयं के ही मामले में जज नहीं हो सकता', के साथ-साथ 'न्याय न सिर्फ होना चाहिए, बल्कि स्पष्ट रूप से एवं बिना किसी संदेह के होते हुए दिखना भी चाहिए।' प्राकृतिक न्याय का न्यूनतम आवश्यकता यह है कि प्राधिकार (न्याय-व्यवस्था) में वे निष्पक्ष लोग होने चाहिए, जो न्यायोचित ढंग से एवं पूर्वाग्रह रहित होकर काम कर सकें।

'पूर्वाग्रह' के वशीभूत होकर दिया गया निर्णय व्यर्थ है तथा इस तरह की सुनवाई न्यायोचित नहीं कही जा सकती। इसलिए 'पूर्वाग्रह' का निष्कर्ष, सिर्फ परोक्ष संकेत, अनुमान या संदेह के आधार पर होना चाहिए। 'पूर्वाग्रह' कई प्रकार के होते हैं एवं फैसलों को विभिन्न तरीकों से प्रभावित करते हैं।

### 'पूर्वाग्रह' के विभिन्न प्रकार/पहलू

#### 6.2.1. व्यक्तिगत पूर्वाग्रह

व्यक्तिगत पूर्वाग्रह की उत्पत्ति पक्षों एवं फैसला करने वाले प्राधिकार या अधिकारी के बीच किसी विशेष संबंध के कारण होती है, जिसमें वादी/ प्रतिवादी पक्ष प्राधिकार (जज) को अपने पक्ष में या दूसरे पक्ष के विरुद्ध करने की कोशिश करते हैं। इस तरह के समीकरण विभिन्न प्रकार के व्यक्तिगत या व्यावसायिक शत्रुता या मैत्री के कारण विकसित हो सकते हैं। यद्यपि इस प्रकार के समीकरणों की कोई व्यापक सूची बनाना संभव नहीं है।

एक मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने एक विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा तैयार की गई सूची को खारिज कर दिया था, जिसमें समिति ने एक अफसर द्वारा तैयार की गई उम्मीदवारों की गोपनीय रिपोर्ट पर विचार किया था, जिसमें वह स्वयं ही पदोन्नति का उम्मीदवार था।

हालांकि, प्रशासनिक कार्रवाई को व्यक्तिगत पूर्वाग्रह के आधार पर सफलतापूर्वक चुनौती देने के लिए यह साबित करना आवश्यक है कि पूर्वाग्रह का एक तर्कसंगत संदेह है या फिर पूर्वाग्रह की एक वास्तविक संभावना है।

'तर्कसंगत संदेह' की जांच मुख्य रूप से बाहरी संभावना में देखती है, जबकि 'वास्तविक संभावना' जांच न्यायालय के स्वयं की संभाविता का मूल्यांकन हैं, लेकिन व्यवहार में ये परीक्षण बहुत सारे मामलों में एक-दूसरे से समानता रखते हैं एवं इनका परिणाम एक जैसा ही होता है।

'पूर्वाग्रह' के इस क्षेत्र में, वास्तविक प्रश्न यह नहीं है कि कोई व्यक्ति निष्पक्ष था या नहीं। किसी व्यक्ति की मानसिक अवस्था को साबित करना कठिन है। इसलिए न्यायालय इस बात को देखती हैं कि क्या इस बात का तर्कसंगत आधार उपलब्ध है कि फैसला करने वाला अधिकारी पक्षपातपूर्ण हो सकता था। पूर्वाग्रह के मामलों में किसी फैसले पर पहुंचने में जजों को मानवीय संभावनाओं एवं मानवीय आचरण के सामान्य पहलुओं पर विचार करना पड़ता है।

लेकिन किसी फैसला लेने वाले/ सुनवाई करने वाले अधिकारी को अयोग्य घोषित करने के लिए पूर्वाग्रह की पूरी और स्पष्ट संभाविता उपलब्ध होनी चाहिए। सुनवाई या सुनवाई करने वाले अधिकारी को सिर्फ संदेह के आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता। संदेह के बारे में फैसला, एक स्वस्थ, तर्कसंगत एवं औसत दृष्टिकोण से लिया जाना चाहिए, न कि सिर्फ लोगों, सनकी, मनमौजी एवं अविवेकी लोगों के संदेह के आधार पर।

### 6.2.2 धन-संबंधी पूर्वाग्रह

न्यायिक दृष्टिकोण सर्वसम्मति से इस बात पर निर्णायक है कि आर्थिक सरोकार, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो, प्रशासनिक प्रक्रिया को दूषित करता है। प्रशासनिक प्रक्रिया में भाग लेने वाले ऐसे व्यक्ति को अयोग्य घोषित किया जाएगा जिसका निर्णय लेने वाली प्रक्रिया से आर्थिक हित जुड़ा हो। सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में एक पाठ्यपुस्तक चयन समिति के फैसले को इस बात के कारण खारिज कर दिया कि जो पुस्तकें चयनित हुई थीं, उनके लेखक उस चयन समिति के कुछ सदस्य भी थे।

### 6.2.3 विषय-वस्तु पूर्वाग्रह

वे मामलों इस श्रेणी में आते हैं, जिनमें फैसला लेने वाले अधिकारी का सीधे तरह से या अन्य रूप से मामले की (प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से) विषय-वस्तु से संबंध हो। पुनः यहां सिर्फ भागीदारी के कारण प्रशासनिक कार्रवाई नहीं हो सकती, जब तक कि पूर्वाग्रह की वास्तविक संभावना उपलब्ध न हो।

सुप्रीम कोर्ट ने, एक मामले में आंध्र प्रदेश सरकार के सड़क-परिवहन के राष्ट्रीयकरण के एक फैसले को इस आधार पर खारिज कर दिया कि परिवहन विभाग का सचिव, जिसने सुनवाई की, उस मामले की विषय-वस्तु से लाभार्थी था।

### 6.2.4 विभागीय पूर्वाग्रह

'विभागीय पूर्वाग्रह' की समस्या प्रशासनिक प्रक्रिया में बड़ी ही सहज है और यदि इसे प्रभावी रूप से नियंत्रित न किया जाए तो यह प्रशासनिक कार्रवाईयों में निष्पक्षता की धारणा को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकती है।

'विभागीय पूर्वाग्रह' की समस्या एक अलग संदर्भ में भी उठ खड़ी होती है, जब जज एवं अभियोजक एक ही विभाग से संबंध होते हैं। यह असामान्य नहीं है कि जो विभाग एक मामले की पहल करता है, वही उसके बारे में फैसला भी करता है, इसलिए कभी-कभी विभागीय बिरादरी एवं वफादारी, निष्पक्ष सुनवाई की धारणा के विरुद्ध हो जाती है।

एक मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की एक अधिसूचना को रद्द कर दिया, जिसके द्वारा एक पुलिस उपाधीक्षक को हरियाणा की गाड़ियों की जांच के मामले में, रोडवेज के महाप्रबंधक की शक्तियां प्रदान की गई थीं। कोर्ट ने इस अधिसूचना को 'विभागीय पूर्वाग्रह' के आधार पर रद्द कर दिया। इस मामले में निजी बस चालकों ने यह आरोप लगाया था कि हरियाणा रोडवेज के महाप्रबंधक से, जो कि राज्य में इस व्यापार में एक प्रतिद्वंद्वी है, इस बात की उम्मीद नहीं की जा सकती कि वे अपने दायित्वों का निष्पक्ष एवं तर्कसंगत रूप से निर्वहन कर पाएंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि वे अपने विभाग की गाड़ियों की जांच के समय आवश्यकता से अधिक उदार हो जाएंगे। सुप्रीप कोर्ट के अनुसार, अधिसूचना को रद्द करने का कारण विभाग के कर्तव्य एवं हितों के बीच टकराव था एवं उसके फलस्वरूप लोगों का प्रशासनिक न्याय में विश्वास को होने वाली कमी थी।

### 6.2.5 पूर्व धारणा पर आधारित पूर्वाग्रह

पहले से बनाई गई धारणा के आधार पर पक्षपात प्रशासनिक कानून की एक बहुत ही नाजुक समस्या है। एक तरफ, किसी भी जज से, व्यक्ति के रूप में, इस बात की उम्मीद नहीं की जा सकती कि वह एक सादे कागज की तरह बैठा रहा, दूसरी तरफ पहले से बनाई गई धारणाएं स्वच्छ एवं निष्पक्ष सुनवाई को दूषित करेंगी।

पहले से बनाई गई धारणा के आधार पर किए गए पक्षपात (पूर्वाग्रह) की समस्या को प्रशासनिक प्रक्रिया की सहज (अंतर्निहित) परिसीमा मानकर छोड़ना पड़ेगा। किसी लोक अधिकारी को सिर्फ इस बात के कारण पक्षपात का दोषी ठहराना कि वह किसी पॉलिसी (नीति) के प्रति संवेदनशील है, जो जनहित में है, निरर्थक है। पूर्वाग्रह के कारण किसी अधिकारी को कार्रवाई से नहीं रोका जा सकता, यदि उसके स्थान पर कोई और योग्य व्यक्ति उपलब्ध नहीं है। यह परिसीमा आवश्यकता के सिद्धांत में निहित है।

हालांकि 'पूर्वाग्रह' अपने स्थान तक सीमित किया जाना चाहिए। यदि पहले से बनाई गई धारणा के आधार पर पूर्वाग्रह का अर्थ जज के मस्तिष्क में पूर्वाग्रह की पूर्ण अनुपस्थिति है, तो किसी भी जज ने आज तक कोई स्वच्छ (निष्पक्ष) सुनवाई नहीं की है और न ही कोई कर सकेगा। इसलिए जब तक कि पहले से तय धारणाएं इतनी सशक्त न हों कि वे जज के मस्तिष्क को अपने वश में कर लें, प्रशासनिक प्रक्रिया दूषित नहीं होगी।

### पाठगत प्रश्न 6.2

1. 'पूर्वाग्रह' को परिभाषित करें।

2. निम्नलिखित में प्रत्येक का एक उदाहरण दें-

(क) धन-संबंधी पूर्वाग्रह

(ख) विषय-वस्तु पूर्वाग्रह

(ग) विभागीय पूर्वाग्रह

3. 'पूर्वाग्रह' के विभिन्न पहलुओं/प्रकारों की चर्चा करें।

## 6.3 निष्पक्ष सुनवाई के नियम

इस नियम का अर्थ है, एक व्यक्ति को स्वयं के बचाव का अवसर अवश्य दिया जाना चाहिए। यह सिद्धांत प्रत्येक सभ्य समाज की एक अनिवार्य शर्त (sine qua non) है। इस नियम का उप-सिद्धांत यह है कि ''यदि कोई व्यक्ति दूसरे पक्ष को सुने बिना फैसला करता है तो उसे सही फैसला नहीं कहा जा सकता, तब भी जबकि उसने वही किया हो, जो उचित था।'' लॉर्ड हेवार्ट ने इसी सिद्धांत को व्यक्त किया था, जब उसने कहा था, यह सिर्फ महत्व की नहीं, बल्कि मूलभूत महत्व की चीज है कि न्याय न सिर्फ होना चाहिए, बल्कि स्पष्ट रूप से बिना किसी संदेह के होते हुए दिखना भी चाहिए। किसी व्यक्ति को सुनवाई का अधिकार या नोटिस (चेतावनी) देने में कठिनाई इस बात का स्पष्टीकरण नहीं हो सकती कि उसके आधार पर किसी व्यक्ति को बचाव का अवसर या सुने जाने का अधिकार नहीं दिया यद्यपि प्राकृतिक न्याय के नियमों की अनुपालन की।

यदि विधायिका ने विशेष तौर पर, बिना सुनवाई के, कुछ अपवादों को छोड़कर, कोई प्रशासनिक कार्यवाही की है तो यह निष्पक्ष सुनवाई के सिद्धांतों का उल्लंघन है। हालांकि, बिना किसी वैध कारण के जांच में शामिल नहीं होना और बाद में इसे प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन कहना उचित नहीं ठहराया जा सकता।

### 6.3.1 नोटिस (चेतावनी) का अधिकार

नोटिस किसी भी सुनवाई का आरंभ बिंदु है। जब तक किसी व्यक्ति को इस बात का पता न चले कि उस पर जो मुकदमा बना है उसका विषय क्या है और उसमें कौन-कौन से मुद्दे शामिल हैं, वह अपना बचाव नहीं कर सकता। किसी मामले में सिर्फ नोटिस दिया जाना काफी नहीं है, बल्कि यह भी आवश्यक है कि वह पर्याप्त हो। किसी नोटिस की पर्याप्तता एक सापेक्ष शब्द है और प्रत्येक मामले में अलग-अलग निर्धारित होनी चाहिए, लेकिन सामान्यत: किसी नोटिस को पर्याप्त होने के लिए, उसमें निम्न तत्व होने चाहिए-

नोटिस में इतनी सूचना होनी चाहिए, जिससे कि कोई भी व्यक्ति जिससे यह नोटिस संबंधित है, एक प्रभावी बचाव कर सके। इसलिए, नोटिस का मूल तत्व, जिसको नोटिस दी जानी है एवं नोटिस दिए जाने का समय ये तीनों तत्व किसी भी नोटिस में महत्वपूर्ण है, जो यह तय करते हैं कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन न हो। इस प्रकार, किसी पुरानी (जीर्ण-शीर्ण) बिल्डिंग को गिराने के लिए जब 24 घंटे का नोटिस दिया गया तो कोर्ट ने इसे पर्याप्त नहीं माना।

उसी तरह से जब किसी व्यक्ति को एक मामले में नोटिस दिया गया तो उसे किसी दूसरे मामले में दंडित नहीं किया जा सकता, जिसका नोटिस उसे न दिया गया हो।

हालांकि, नोटिस के लिए सिर्फ इस कारण से जोर नहीं दिया जा सकता कि यह एक तकनीकी औपचारिकता है, जबकि संबंधित पक्ष अपने खिलाफ मामले को स्पष्ट रूप से जानती है और एक प्रभावी बचाव करने में हर तरह से सक्षम है।

### 6.3.2 मुकदमें एवं साक्ष्य को पेश करने का अधिकार

निर्णायक प्राधिकार द्वारा किसी भी पक्ष को अपना मुकदमा पेश करने का पर्याप्त एवं न्यायोचित अवसर दिया जाना चाहिए। यह लिखित या मौखिक रूप से प्राधिकार के विवेक के अनुसार दिया जाना चाहिए यदि कोई और निर्देश व्यवस्था द्वारा न दिया गया हो।

प्राकृतिक न्याय की आवश्यकताएं तभी पूरी होती हैं, यदि अभिवेदन का अवसर प्रस्तावित कार्रवाई के आलोक में दिया गया हो। ये आवश्यकताएं तब पूरी नहीं होतीं, जब वह व्यक्ति जिसके खिलाफ कार्रवाई की गई है, यदि वह कार्रवाई अनौपचारिक तरीके से या किसी और उद्देश्य से की गई है। इसका अर्थ यह नहीं है कि दिया गया अवसर एक दोहरा अवसर हो, अर्थात् एक अवसर तथ्यात्मक आरोपों के लिए एवं दूसरा अवसर प्रस्तावित दंड के लिए, बल्कि दोनों आपस में एक ही होने चाहिए।

न्यायालय इस बात पर एकमत हैं कि मौखिक सुनवाई तब तक निष्पक्ष सुनवाई का एक अभिन्न अंग नहीं है, जब तक कि परिस्थितियां इतनी असाधारण न हों कि बिना मौखिक सुनवाई के एक व्यक्ति एक प्रभावी बचाव पेश नहीं कर सकता। इसलिए, जहां पर जटिल तकनीकी एवं कानूनी प्रश्न का संबंध हों या जहां पर जोखिम बहुत अधिक हो, मौखिक सुनवाई, निष्पक्ष सुनवाई का एक अंग होनी चाहिए। इस प्रकार मौखिक सुनवाई अगर एक वैधानिक आवश्यकता न हो तो इस स्थिति में प्रत्येक मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए न्यायालय स्वयं ही निर्णय लेगा।

### 6.3.3 प्रतिकूल साक्ष्य को खंडित करने का अधिकार

प्रतिकूल साक्ष्य को खंडित करने का अधिकार इस पूर्वानुमान पर आधारित है कि संबद्ध व्यक्ति को उसके खिलाफ उपलब्ध साक्ष्यों के बारे में पहले से सूचित कर दिया गया है। हालांकि इसका अर्थ यह नहीं है कि सारे मामलों में प्रतिकूल सामग्री वास्तविक रूप में भेजी गई है। यही पर्याप्त है कि प्रतिकूल सामग्री का सार उपलब्ध कराया गया है, बशर्ते वह भ्रमित करने वाली न हो।

प्रतिकूल साक्ष्य को खंडित करने का अवसर आवश्यक रूप से दो घटकों के विमर्श पर निर्भर करता है- प्रतिपरीक्षा (जिरह) एवं कानूनी-प्रतिनिधित्व

### 6.3.4 प्रतिपरीक्षा (जिरह)

सत्य को स्थापित करने के लिए जिरह सबसे सशक्त हथियार है। हालांकि अदालतें प्रशासनिक प्रक्रियाओं में जिरह पर तब तक जोर नहीं देतीं, जब तक कि ऐसी स्थिति न हो कि इसके बिना

व्यक्ति एक प्रभावी बचाव न कर सकें। यदि गवाह ने मौखिक गवाही दी है तो इस परिस्थिति में जिरह से मना करना अवश्य ही कुछ हद तक प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन माना जाएगा। श्रम-संबंधों एवं लोक सेवकों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाइयों में भी, जिरह को निष्पक्ष सुनवाई के नियमों में सम्मिलित किया गया है।

### 6.3.5 कानूनी प्रतिनिधित्व

सामान्यत: किसी प्रशासनिक कार्रवाई में किसी अधिवक्ता के माध्यम से कानूनी प्रतिनिधित्व निष्पक्ष सुनवाई के लिए, प्राकृतिक न्याय के नियमों के अनुसार अपरिहार्य अंग नहीं माना जाता है। यह वंचना इस आधार पर सही ठहराई जा सकती है कि अधिवक्ता मामलों को उलझा देते हैं, सुनवाईयों को लंबा कर देते हैं तथा सुनवाइयों की आवश्यक अनौपचारिकता को समाप्त कर देते हैं। यह आगे इस आधार पर सही ठहराया जाता है कि अपनी पसंद का अधिवक्ता रखने का विकल्प अमीरों को गरीबों की तुलना में ज्यादा लाभ पहुंचाएगा, क्योंकि एक गरीब व्यक्ति अपने लिए एक अच्छा वकील नहीं कर सकता। इस तरह यह तथ्य है कि जब तक अभिकरण (एजेंसी) के द्वारा ही किसी प्रकार की कानूनी सहायता उपलब्ध नहीं कराई जाती तो प्रोफेसर एलेन के शब्दों में, कानूनी प्रतिनिधित्व से इनकार, गरीबों के लिए एक 'मिथ्या दयालुता' होगी।

प्रशासनिक कार्रवाईयों में कानूनी प्रतिनिधित्व किस हद तक स्वीकार्य होगी, यह कानून के प्रावधानों पर निर्भर करता है। फैक्टरी (कारखाना) कानून, कानूनी प्रतिनिधित्व की अनुमति नहीं देते, औद्योगिक विवाद अधिनियम इसकी अनुमति न्यायाधिकरण की अनुमति के बाद देते हैं तथा कुछ कानून जैसे कि आयकर अधिनियम कानूनी प्रतिनिधित्व की अनुमति एक अधिकार के रूप में देते हैं।

यद्यपि भारत में न्यायालयों ने यह माना है कि उन परिस्थितियों में जबकि व्यक्ति (अभियुक्त) अशिक्षित है या मामला तकनीकी एवं जटिल है या विशेषज्ञ साक्ष्य रिकॉर्ड में है या कानून का प्रश्न शामिल है या फिर व्यक्ति एक प्रशिक्षित अभियोजक (प्रॉसीक्यूटर) का सामना कर रहा है तो इन परिस्थितियों में उस पक्ष (अभियुक्त) को कुछ पेशेवर (प्रोफेशनल) सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए, जिससे उसका स्वयं के बचाव का अधिकार अर्थपूर्ण बन सके।

### 6.3.6 दूसरे पक्ष को जांच की रिपोर्ट दिखाया जाना

बहुत से मामलों में, विशेषकर अनुशासनात्मक मामलों में, ऐसा होता है कि जांच में, कार्रवाई किसी अन्य को सौंपी गई है तथा जांच रिपोर्ट पर कार्रवाई सक्षम प्राधिकारी द्वारा की जाती है। इस तरह की परिस्थितियों में एक बड़ा ही स्वाभाविक एवं महत्वपूर्ण प्रश्न उठ खड़ा होता है कि क्या सक्षम प्राधिकार द्वारा अंतिम फैसला लेने के पहले जांच-अधिकारी द्वारा दी गई जांच-रिपोर्ट की एक प्रति आरोपित कर्मचारी को उपलब्ध कराई गई थी?

यह प्रश्न संवैधानिक एवं प्रशासनिक कानून दोनों के नजरिए से बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रशासनिक कानून का एक आधारभूत (मूल) सिद्धांत यह है कि कोई भी कार्रवाई, जिसके किसी भी व्यक्ति के लिए सिविल परिणाम हो सकते हैं, ऐसी कार्रवाई प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के पालन के

बिना नहीं की जा सकती। इसलिए अनुशासनात्मक मामलों में, प्रशासनिक कानून में यह प्रश्न हमेशा उठता रहा है कि क्या सक्षम प्राधिकार द्वारा अंतिम फैसला लेने के पहले जांच-रिपोर्ट की प्रति आरोपित कर्मचारी को उपलब्ध कराने में असफल रहना (उपलब्ध न कराना) प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन होगा?

उसी प्रकार, इस प्रकार की परिस्थिति में संवैधानिक प्रश्न यह होगा कि आरोपित (अभियुक्त) कर्मचारी को जांच-रिपोर्ट की प्रति उपलब्ध न कराना क्या भारतीय संविधान की धारा-311 (2) के प्रावधानों का उल्लंघन होगा? संविधान की धारा-311 (2) इस बात का प्रावधान करता है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी तब तक न तो बरखास्त किया जा सकता है, न उसे हटाया जा सकता है और न ही उसको पदावनत किया जा सकता है, जब तक कि उसे उन आरोपों के खिलाफ, जो उसके विरुद्ध लगाए गए हैं, बचाव का पर्याप्त अवसर न दिया जाए या उसे अपना पक्ष रखने का अवसर न दिया जाए।

इसलिए यह हमेशा ही एक परेशान करने वाला प्रश्न रहा है कि क्या अंतिम फैसला होने के पूर्व जांच-अधिकारी की रिपोर्ट आरोपित कर्मचारी को उपलब्ध कराने में असफल रहना धारा-311 (2) के अंतर्गत उसे 'पर्याप्त अवसर' (तर्कसंगत) न दिया जाना माना जाएगा?

इस परिस्थिति में एक ओर संवैधानिक प्रश्न पूछा जा सकता है कि आरोपी को जांच-अधिकारी की रिपोर्ट की प्रति उपलब्ध कराए बिना उस रिपोर्ट के आधार पर प्राधिकार या सक्षम अधिकारी द्वारा लिया गया कोई भी अंतिम फैसला क्या मनमानी नहीं होगा और यह संविधान की धारा-14 का उल्लंघन होगा, जो इस तर्कसंगत एवं सुसंगत सिद्धांत को महानतम रूप में प्रतिष्ठापित करता है।

जांच-अधिकारी के द्वारा प्रस्तुत किए गए तथ्यों का उद्देश्य सिर्फ सरकार के विमर्श के लिए उचित (तर्कसंगत) सामग्री उपलब्ध कराना होता है। अनुशासनिक प्राधिकार जांच-अधिकारी की रिपोर्ट के निष्कर्षों या सिफारिशों को मानने के लिए बाध्य नहीं होता है।

जांच-अधिकारी द्वारा दर्ज किए गए साक्ष्य एवं जांच रिपोर्ट वह सामग्री है, जिसके आधार पर सरकार को अंतिम रूप में फैसला करना होता है। जांच- अधिकारी द्वारा की गई जांच एवं उसके फलस्वरूप तैयार की गई रिपोर्ट का एकमात्र उद्देश्य यही होता है।

प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का प्रयोग अलग-अलग मामलों में उनके तथ्यात्मक पहलुओं के आधार पर अलग-अलग होता है। उदाहरण के लिए, बड़ी सजाओं से संबंधित मामलों में इसकी बड़ी ही सख्त आवश्यकता होती है और इससे पहले कि आरोपी को बरखास्त किया जाए, हटाया जाए या उसकी पदावनति की जाए, उसे अपनी बात रखने का पर्याप्त अवसर कानून के अनुसार दिया जाता है, परंतु छोटी सजाओं से संबंधित मामलों में, आरोपी अधिकारी (कर्मचारी) द्वारा दिया गया सिर्फ स्पष्टीकरण ही प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों की आवश्यकताओं को पूरा कर देता है। कुछ मामलों में मौखिक सुनवाई आवश्यक हो सकती है, लेकिन कुछ अन्य मामलों में इसकी आवश्यकता नहीं होती।

### 6.3.7 फैसले के बाद सुनवाई

फैसले के पूर्व सुनवाई 'ऑडी अल्टरम पार्टम' (Audi Alteram Partem) नियम का आदर्श मानक है, लेकिन फैसले के बाद सुनवाई पीड़ित व्यक्ति को सुनवाई का एक अवसर प्रदान करती है। हालांकि फैसले के बाद सुनवाई एक अपवाद होना चाहिए न कि नियम। यह निम्नलिखित परिस्थितियों में स्वीकार्य है-

1. जहां पर मूल फैसला पीड़ित व्यक्ति को कोई पूर्वाग्रह या हानि नहीं पहुंचाता।
2. जहां पर एक त्वरित कार्रवाई की तत्काल आवश्यकता है
3. जहां फैसले के पूर्व सुनवाई करना अव्यावहारिक है।

फैसले के पश्चात् सुनवाई का विचार किसी व्यक्ति के प्रति निष्पक्षता एवं प्रशासनिक दक्षता के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए विकसित किया गया है। तालमेल का यह उपकरण (साधन) सुप्रीम कोर्ट द्वारा 'मेनका गांधी बनाम भारत संघ' मामले में विकसित किया गया था। 1 जून, 1976 के इस मामले में निवेदक, जो कि एक पत्रकार थी, का पासपोर्ट जनहित में, सरकार के एक आदेश के द्वारा बिना कारण बताये जब्त कर लिया गया। न्यायालय की एक पक्षीय कार्यवाही से पीड़ीत होने पर तो उसने अनुच्छेद-32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट में जब्ती के सरकारी आदेश की वैधता को चुनौती देते हुए एक याचिका दायर किया। सरकार का एक तर्क यह था कि इस मामले में 'ऑडी अल्टरम पारट्म' (Audi Alterm Partem) नियम का पालन करने पर पासपोर्ट को जब्त करने का उद्देश्य ही निरर्थक हो जाता। सरकार के इस तर्क को अस्वीकार करते हुए न्यायालय ने ठीक ही कहा कि हालांकि पासपोर्ट जब्त करना एक प्रशासनिक कार्रवाई है, फिर भी निष्पक्ष सुनवाई के नियम की अनदेखी सिर्फ प्रशासनिक सहूलियत के नाम पर करना सही नहीं है। यद्यपि न्यायालय आदेश को पूर्ण रूप से निरस्त नहीं किया इसके विपरीत फैसले के पश्चात् सुनवाई की तकनीक विकसित की गई, जिससे इस पासपोर्ट जब्ती के मामले में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का सम्मान किया जा सके और एक संतुलन की स्थिति कायम हो।

### पाठगत प्रश्न 6.3

1. 'निष्पक्ष सुनवाई के नियम' को परिभाषित करें।
2. एक वैध नोटिस के मुख्य घटकों की चर्चा करें।

## 6.4 तर्कसंगत निर्णय या व्यक्त/पारित आदेश (Speaking Order)

प्राकृतिक न्याय का तीसरा सिद्धांत, जो समय के साथ विकसित हुआ है, यह है कि पारित होने वाला कोई भी आदेश, जो किसी व्यक्ति के अधिकारों को प्रभावित करता है, अवश्य ही एक (Speaking Order) होना चाहिए। यह कार्रवाई में मनमानेपन से बचने के लिए आवश्यक है।

यह उस मंजिल की तरफ बढ़ता हुआ एक कदम है, जहां समाज कानून के नियमों द्वारा संचालित होता है।

इस मामले का दूसरा पहलू यह है कि उस पक्ष को, जिसके खिलाफ आदेश पारित होता है, निष्पक्षता के लिए, आदेश के पारित होने का कारण अवश्य पता होना चाहिए। उस पक्ष को आदेश पारित होने के कारण जानने का अधिकार है।

वे आदेश जिनके खिलाफ याचिका दायर की जाती है, अवश्य ही Speaking Orders होने चाहिए। अन्यथा पीड़ित पक्ष अपील-प्राधिकार के समक्ष इस बात को दर्शाने की स्थिति में नहीं होता है कि पारित आदेश किस प्रकार से गलत और कानून के विरुद्ध है। बहुत हद तक, इन मामलों में आदेश निरर्थक अपील (Bold Orders) के लिए उपाय प्रस्तुत करता है। हालांकि, यह सत्य है कि प्रशासनिक प्राधिकार, से यह आशा नहीं की जाती कि वे न्यायालयों की तरह विस्तृत आदेश पारित करें। ये बहुत ही विस्तृत एवं लंबे आदेश नहीं होते, लेकिन इनसे कम-से-कम यह अवश्य दिखना चाहिए कि इन आदेशों को पारित करते समय, चाहे वे कितने ही संक्षिप्त क्यों न हों, मस्तिष्क का उपयोग किया गया है। ऐसा कोई निर्धारित प्रारूप नहीं हो सकता कि आदेश किस तरह पारित किए जाएं, लेकिन जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, इसको पारित करने की न्यूनतम जरूरतें अवश्य पूरी होनी चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने कई बार यह राय दी है कि बिना सुनवाई के आदेश, किसी पक्ष के सुनवाई के अधिकार से उसे वंचित करना है। कुछ मामलों में यह भी फैसला दिया गया है कि आदेश को परिवर्तित करते समय अपील-प्राधिकार के द्वारा इसका कारण भी बताया जाना चाहिए।

### पाठगत प्रश्न 6.4

1. तार्किक निर्णय (Reasoned Decision) एवं 'Speaking Orders' का अर्थ स्पष्ट करें।
2. 'Speaking Order' से आप क्या समझते हैं? प्रशासनिक कार्रवाईयों में 'Speaking Order' का महत्व बतलाएं।

## 6.5 प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के अपवाद

प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के प्रयोगों को संविधान के अनुच्छेद-14 एवं 21 के प्रावधानों के अंतर्गत स्पष्ट रूप से या कुछ विशेष परिस्थितियों में छोड़ा जा सकता है। इसलिए यदि कानून स्पष्ट रूप से या आवश्यक निहितार्थों के द्वारा प्राकृतिक न्याय के नियमों को छोड़ देता है तो मनमानेपन के आधार पर यह नियमों की अवहेलना नहीं मानी जाएगी।

### 6.5.1 आपात स्थिति में निषेध (अपवर्जन)

वैसे आपात स्थिति के असाधारण मामलों में जब निरोधक या निवारक त्वरित कार्रवाई की आवश्यकता होती है, नोटिस एवं सुनवाई को छोड़ा जा सकता है। जैसे कि यदि कोई खतरनाक इमारत को गिराने के मामले में था, निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए किसी कंपनी को बंद करने के मामले में।

यद्यपि किसी आपात स्थिति का प्रशासनिक निर्धारण, जिसके द्वारा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का निषेध किया जाता है, अंतिम नहीं हो सकता। न्यायालयें ऐसी स्थितियों की समीक्षा कर सकते हैं।

प्राकृतिक न्याय स्पष्ट रूप से लचीला एवं बाध्यकारी दबाव की परिस्थितियों में संपुटन करने के लिए उत्तरदायी है। इस प्रसंग में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है, ''प्राकृतिक न्याय को अवश्य ही इसकी उचित सीमाओं के भीतर सीमित किया जाना चाहिए और इसे उन्मुक्त होने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। प्राकृतिक न्याय की धारणा एक भव्य कुलीनता है, जिस पर राष्ट्र अपनी घोषित एवं नियत सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक लक्ष्यों की तरफ सरपट दौड़ लगाता है।

### 6.5.2 गोपनीयता के मामले में अपवाद

एक मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया कि पुलिस द्वारा निगरानी रजिस्टर (पंजिका) का रख-रखाव एक गोपनीय दस्तावेज है। न तो वह व्यक्ति जिसका नाम इस रजिस्टर में दर्ज है और न ही किसी अन्य सामान्य व्यक्ति की इस तक पहुंच होनी चाहिए। इसके अलावा, न्यायालय ने यह पाया कि इस परिस्थिति में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का अनुपालन निगरानी के उद्देश्यों को निष्फल कर देगा एवं इस बात की पूरी संभावना है कि न्याय का उद्देश्य पूरा होने के बदले विफल हो जाए।

इसी सिद्धांत का पालन 'एस.पी. गुप्ता बनाम भारत संघ' मामले में किया गया, जब सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि सुने जाने का कोई भी अवसर उच्च न्यायालय के एक अतिरिक्त न्यायाधीश को नहीं दिया जा सकता, इससे पहले कि उसके नाम की पुष्टि होने से पहले उसे हटा दिया जाए। यहां यह उल्लेख करना आवश्यक है कि भारत जैसे देश में निगरानी लोगों की आजादी में एक गंभीर अवरोध है। इसलिए निगरानी रजिस्टार का रख-रखाव पूरी तरह से इस प्रकार प्रशासनिक एवं गैर-न्यायिक नहीं हो सकता कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को अमल में लाना कठिन हो जाए।

### 6.5.3 रोजमर्रा/नित्यचर्या के मामलों में अपवाद

एक विश्वविद्यालय के छात्र का नाम असंतोषजनक शैक्षिक प्रदर्शन के कारण विश्वविद्यालय से हटा दिया गया। इस मामले में फैसले के पूर्व कोई सुनवाई नहीं की गई। सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि इस शैक्षिक अधिनिर्णय की प्रकृति, सुने जाने के किसी भी अवसर के विरुद्ध थी। इसलिए यदि सक्षम शैक्षिक अधिकारी छात्र के एक निश्चित समय तक प्रदर्शन की जांच एवं मूल्यांकन करने के बाद उसके प्रदर्शन को असंतोषजनक घोषित करते, तब प्राकृतिक न्याय के नियमों को छोड़ा जा सकता था। उसी प्रकार जब आयोग ने एक उम्मीदवार की परीक्षा रद्द कर दी, क्योंकि उसने नियम के विरुद्ध उत्तर पुस्तिका के हर पन्ने पर अपना क्रमांक लिख दिया था, सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि इस मामले में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन नहीं हुआ। न्यायालय ने यह माना कि शैक्षिक क्षेत्र में सुने जाने के नियम का सख्ती से पालन होना चाहिए कि यदि इसे अनदेखा किया जाए तो यह न सिर्फ जनहित के विरुद्ध होगा, बल्कि यह निष्पक्षता की सामाजिक भावना को भी नष्ट करेगा। यद्यपि, यह अपवाद अनुशासनात्मक मामलों में लागू नहीं होना चाहिए, जहां पर शैक्षिक निकाय अशैक्षिक परिस्थितियों की अनुमति देता है।

### 6.5.4 अव्यावहारिकता पर आधारित अपवाद (अपवर्जन)

प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का प्रयोग प्रशासनिक अव्यवहारिकता के आधार पर छोड़ा जा सकता है। उदाहरण के लिए, एक मामले में जहां पूरी एम.बी.ए. प्रवेश परीक्षा विश्वविद्यालय द्वारा इसलिए

रद्द कर दी गई, क्योंकि सामूहिक नकल हुई थी, न्यायालय ने यह माना कि इसे मामले में सारे प्रतियोगियों को नोटिस और सुनवाई संभव नहीं थी, क्योंकि प्रतियोगिता राष्ट्रीय स्तर की थी। इस प्रकार न्यायालय ने इस मामले में प्रशासनिक अव्यवहारिकता के आधार पर प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अपवर्जन को सही ठहराया।

### 6.5.5 अंतरिम निवारक कार्रवाई के मामलों में अपवाद (अपवर्जन)

यदि एक प्रशासनिक प्राधिकार का निलंबन आदेश अंतिम न होकर एक निवारक कार्रवाई है, तो इस मामले में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के प्रयोग छोड़े जा सकते हैं। एक मामले में जहां एक संस्था ने एक आदेश पारित करके एक छात्र को संस्था परिसर में प्रवेश करने एवं कक्षाओं में शामिल होने से तब तक के लिए रोक दिया, जब तक कि उसके विरुद्ध अपने एक साथी को चाकू भोंकने का आपराधिक मामला निलंबित था। इस मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने यह माना कि इस प्रकार के आदेश की तुलना एक निलंबन के उस आदेश से की जा सकती है, जिसमें जांच लंबित हो, और इस तरह की कार्रवाई एक निवारक कार्रवाई मानी जाएगी, जिसका उद्देश्य संस्था परिसर में शांति बनाए रखना है और इसलिए प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत इस मामले में लागू नहीं होते।

इस प्रकार, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को छोड़ा जा सकता है, यदि इसका प्रयोग उस कार्रवाई को व्यर्थ करता है, जो की जानी है या फिर यह कानून के शासन को हतोत्साहित और पंगु बनाता है। सर्वोच्च न्यायालय ने, 'मेनका गांधी बनाम भारत संघ' मामले में यह पाया कि यदि नोटिस और सुने जाने का अधिकार देने का कर्तव्य त्वरित कार्रवाई में बाधा पहुंचाता है, विशेषकर निवारक प्रकृति की कार्रवाई में, तो इस परिस्थिति में पूर्व सूचना (नोटिस) के अधिकार एवं सुने जाने के अवसर को छोड़ा जा सकता है।

### 6.5.6 विधायी कार्रवाई के मामलों में अपवाद

पूर्ण या अधीनस्थ विधायी कार्रवाई प्राकृतिक न्याय के नियमों के विषय नहीं है, क्योंकि ये नियम बिना किसी व्यक्ति विशेष के संदर्भ में कोई नीति निर्धारित करते हैं। इसी तर्क के आधार पर प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को संविधान के एक प्रावधान द्वारा भी छोड़ा जा सकता है। भारत का संविधान अनुच्छेदों 22, 31(अ), (ब), (स) एवं 31(2) में एक नीति के तहत, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अपवर्जन का प्रावधान करता है। तथापि यदि विधायी अपवर्जन मनमाना, अनुचित एवं अकारण है तो न्यायालय इस तरह के प्रावधान को अनुच्छेद 14 एवं 21 के तहत समाप्त कर सकते हैं। एक मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना कि प्राकृतिक न्याय के किसी सिद्धांत का उल्लंघन नहीं हुआ, जब सरकार ने कुछ दवाओं के मूल्य निर्धारण संबंधी अधिसूचना जारी की। न्यायालय ने यह तर्क दिया कि चूंकि यह अधिसूचना एक प्रशासनिक कार्रवाई न होकर एक विधायी कार्रवाई थी, इसलिए इस मामले में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत लागू नहीं होते।

### 6.5.7 जहां व्यक्ति के किसी भी अधिकार का उल्लंघन नहीं होता

जहां किसी व्यक्ति को विधि द्वारा कोई अधिकार नहीं दिए गए हों और न ही इस तरह का कोई अधिकार सामान्य कानून के द्वारा मिले हों, वहां प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत लागू नहीं होते। इसे

सर्वोच्च न्यायालय के एक फैसले के द्वारा समझाया जा सकता है। दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम सीमित किराएदारी समझौते का सृजन करता है। अधिनियम के अनुच्छेद 21 एवं 37 सीमित किराएदारी समझौते की समाप्ति का प्रावधान करता है। इन अनुच्छेदों का संयुक्त प्रभाव यह है कि अवधि समाप्त होने के बाद सीमित किराएदारी समझौता समाप्त किया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि सीमित किराएदारी समझौते की अवधि समाप्ति के बाद, एक व्यक्ति को यह अधिकार नहीं है कि वह कब्जा अपने पास रखे और इसलिए उसका कोई भी अधिकार प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं होता। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों द्वारा जिनकी गारंटी होती है।

### 6.5.8 सांविधिक अपवाद या आवश्यकता के मामले में अपवाद

किसी व्यक्ति को पूर्वाग्रह के आधार पर अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता, यदि वह मामले को तय करने के लिए या कार्रवाई करने के लिए एकमात्र सक्षम अधिकारी है। यदि इस अपवाद को स्वीकृत नहीं किया जाए तो मामले को तय करने का और कोई तरीका उपलब्ध नहीं होगा और पूरा प्रशासन ठप्प हो जाएगा। लेकिन यह आवश्यकता अवश्य ही वास्तविक एवं सच्ची होनी चाहिए। इसलिए इस मामले में आवश्यकता का सिद्धांत लागू नहीं होता, जब पाठ्य-पुस्तक चयन समिति के सदस्य ही उन पुस्तकों के लेखक थे, क्योंकि चयन समिति का सांविधान सरकार द्वारा आसानी से बदला जा सकता था।

### 6.5.9 संविदात्मक व्यवस्था अनुबंध के मामले में अपवाद

एक मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि किसी संविदात्मक क्षेत्र में व्यवस्था की समाप्ति के मामले में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत लागू नहीं होते। किसी अनुबंध की समाप्ति न तो एक अर्द्धन्यायिक और न ही एक प्रशासनिक कार्रवाई है, इसलिए इस स्थिति में न्यायिक रूप से कार्रवाई करने का दायित्व लागू नहीं होता।

## पाठगत प्रश्न 6.5

1. प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के कुछ 'अपवादों' का उल्लेख करें।
2. प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का प्रयोग, संविधान के अनुच्छेद 14 एवं 21 के तहत या तो स्पष्ट या आवश्यक निहितार्थों के द्वारा निषेध किया जा सकता है। (सही/गलत)
3. प्राकृतिक न्याय, परिस्थितियों के बाध्यकारी दबाव के तहत (घृष्ट) स्पष्ट रूप से लचीला और संपुटन के लिए उत्तरदायी है। (सही/गलत)

## आपने क्या सीखा

- **'प्राकृतिक न्याय'** न्यायालयों द्वारा विकसित उच्च प्रक्रियात्मक सिद्धांतों का प्रतिनिधित्व करता है, जिसका प्रत्येक प्रशासनिक संस्था को ऐसा कोई भी फैसला लेने में पालन करना चाहिए,

जो किसी व्यक्ति के अधिकारों की विपरीत रूप से प्रभावित करता है। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत संविधान के विभिन्न अनुच्छेद द्वारा में दृढ़ता से स्थापित हैं। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत मुख्यत: दो हैं-

(क) कोई भी अपने स्वयं के मामले में न्यायाधिश (जज) नहीं हो सकता तथा

(ख) प्रत्येक पक्ष को सुने जाने का अवसर दिया जाना चाहिए।

- **'पूर्वाग्रह के विरुद्ध नियम'**- जो कि इस बात पर जोर देता है कि न्यायाधीश (जज) अवश्य ही निष्पक्ष होना चाहिए एवं उसे मामले का निर्णय उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर निष्पक्षता से करना चाहिए।
- किसी निर्णय को प्रभावित करने वाले बहुत से कारक हो सकते हैं। ये हैं- व्यक्तिगत पूर्वाग्रह, आर्थिक पूर्वाग्रह, विषय-वस्तु पूर्वाग्रह, विभागीय पूर्वाग्रह एवं पहले से बनाई गई धारणा के आधार पर पूर्वाग्रह।
- **'निष्पक्ष सुनवाई का नियम'** जिसका अर्थ है कि किसी भी व्यक्ति को स्वयं के बचाव का पर्याप्त अवसर मिलना चाहिए। इस नियम के महत्वपूर्ण घटक हैं- नोटिस का अधिकार, मामले एवं साक्ष्यों को पेश करने का अधिकार, प्रतिकूल साक्ष्य को गलत साबित करने का अधिकार, जिरह, कानूनी प्रतिनिधित्व, दूसरे पक्ष को जांच की रिपोर्ट दिखाया जाना एवं जांच के बाद सुनवाई।
- उसी प्रकार, **प्राकृतिक न्याय** इस बात की मांग करता है कि प्रत्येक फैसले में इस तरह के फैसले तक पहुंचने के कारण का उल्लेख होना चाहिए।
- प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के बहुत से अपवाद हैं। ये अपवाद हैं-

  आपात स्थिति में अपवाद, गोपनीयता, रोजमर्रा के मामले, अव्यावहारिकता पर आधारित अपवाद, अंतरिम निवारक कार्रवाई के मामलों में अपवाद, विधायी कार्रवाई, जहां व्यक्ति के किसी भी अधिकार का उल्लंघन नहीं होता, सांविधिक अपवाद या आवश्यकता, संविदात्मक व्यवस्था या अनुबंध।

## पाठांत प्रश्न

1. 'पूर्वाग्रह के विरुद्ध नियम' की व्याख्या करें। विभिन्न प्रकार के पूर्वाग्रहों की चर्चा करें, जो प्राशसनिक प्राधिकारों द्वारा किए गए फैसलों को प्रभावित करते हैं।
2. 'निष्पक्ष सुनवाई के नियम' की विवेचना करें। इस नियम के विभिन्न पहलुओं (पक्षों) का आलोचनात्मक विश्लेषण करें।
3. 'स्पीकिंग ऑर्डर' (Speaking Orders) को परिभाषित करें।
4. प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विभिन्न अपवादों का उल्लेख करें।

## पाठगत प्रश्नों के उत्तर

### 6.1

1. प्राकृतिक न्याय का अर्थ है- निष्पक्षता, युक्तिसंगतता, न्याय संगतता एवं समानता।
2. संविधान के अनुच्छेद 14 एवं 21 प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के लिए दृढ़ आधार प्रदान करते हैं। अनुच्छेद-14 मनमाने कार्रवाईयों का निषेध करता है, जबकि अनुच्छेद-21 उन मामलों में ठोस एवं प्रक्रियात्मक निष्पक्षता प्रदान करता है, जो किसी व्यक्ति के जीवन एवं स्वतंत्रता को प्रभावित करते हैं।
3. प्राकृतिक न्याय के दो मुख्य सिद्धांत हैं-
   (क) कोई भी अपने स्वयं के मामले में न्यायाधीश (जज) नहीं हो सकता तथा
   (ख) प्रत्येक पक्ष को सुने जाने का अवसर दिया जाना चाहिए।

### 6.2

1. 'पूर्वाग्रह' (पक्षपात) का अर्थ है किसी पक्ष या मामले में अनजाने में या जानबूझकर किया गया पक्षपात।
2. उदाहरण हैं:-
   (क) न्यायकर्ता अधिकारी की किसी एक कंपनी में हिस्सेदारी है।
   (ख) चयन समिति का एक अधिकारी स्वयं ही पद के लिए आवेदनकर्ताओं में से एक है।
   (ग) सरकारी परिवहन कंपनी का एक अधिकारी सरकारी एवं निजी गाड़ियों की जांच के लिए अधिकृत है।
3. पूर्वाग्रह के विभिन्न पहलू/प्रकार हैं-
   1. व्यक्तिगत पूर्वाग्रह
   2. आर्थिक पूर्वाग्रह
   3. विषय-वस्तु पूर्वाग्रह
   4. पहले से बनी हुई धारणा के आधार पर पूर्वाग्रह तथा
   5. विभागीय पूर्वाग्रह

### 6.3

1. 'निष्पक्ष सुनवाई' का नियम यह कहता है कि एक व्यक्ति को स्वयं के बचाव का अवसर अवश्य ही दिया जाना चाहिए।
2. एक नोटिस (समन) के महत्वपूर्ण घटक हैं-
   1. समय, स्थान एवं सुनवाई की प्रकृति

2. विधिक प्राधिकार जिसके तहत सुनवाई होनी है
3. विशिष्ट अभियोगों (आरोपों) का विवरण, जिन्हें उस व्यक्ति के द्वारा दिया जाना है।

## 6.4

1. तर्कसंगत निर्णय फैसला या 'स्पीकिंग ऑर्डर' का अर्थ है कि जो आदेश किसी व्यक्ति विशेष के अधिकारों को प्रभावित करता है, वह निश्चित ही एक तर्कसंगत फैसला होना चाहिए। वह पक्ष जिसके विरुद्ध आदेश पारित होता है, निष्पक्षता की दृष्टि से उस व्यक्ति को पारित आदेश के कारण अवश्य पता होने चाहिए।
2. 'स्पीकिंग ऑर्डर' वह आदेश है, जो उन कारणों का उल्लेख करता है, जिसके आधार पर किसी विशेष निर्णय पर पहुंचा गया है। यह मनमानेपन से बचने में मदद करता है। यह तंत्र में विश्वास एवं भरोसा पैदा करता है। यदि पीड़ित पक्ष चाहे तो यह अपील के लिए जमीन (आधार) प्रदान करता है।

## 6.5

1. प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के कुछ महत्वपूर्ण अपवाद हैं–आपात स्थिति में अपवाद, गोपनीयता, रोजमर्रा के मामले, विधायी कार्रवाई, जहां व्यक्ति के किसी भी अधिकार का उल्लंघन नहीं होता, सांविधिक अपवाद या आवश्यकता, संविदात्मक व्यवस्था या अनुबंध।
2. सही
3. सही